

26.5.22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित।
वकील प्राथीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया
जिसे शा-पठ किया जाकर प्रा-पत्र की प्रति अप्राथीगण
अधिवक्ता को फिलायी गयी, प्रा-पत्र में प्राथीगण अधिवक्ता
द्वारा निवेदन किया कि प्राथीगण के पक्ष में पब्लिक
स्पगन आदेश निरस्त फरमाया जाये। प्राथीगण
अधिवक्ता प्रकरण को नोट प्रेस में खारीज
किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण इसी
स्तर पर ड्रोप फरमाया जाये।

M.N. - 1000
1/5

26/5/2022

मने पत्रावली का अवलोकन किया तथा
प्राथीगण अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में आगे
कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण इसी
स्तर पर नोट प्रेस में खारीज किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद
पत्र के साथ सलमन है।

उपखण्ड अधिकारी
बांडल जिला भीलवाड़ा